ECONOMICS

B.A Part 2
Paper IV+B

15-5-20

कर राजस्व एवं सार्वजनिक राजस्व ([illegible] revenue & Public revenue)

Public revenue किसी सामान्य आर्थिक इकाई की [illegible] भाँति सरकार को भी अपनी गतिविधियों के लिए वित्त की व्यवस्था करनी पड़ती है। यह वित्त इसे कई स्रोतों से प्राप्त होती है और विशेषकर उन स्रोतों के लगातार परिवर्तनीय [illegible] होने के कारण, इनकी एक पूरी एवं निश्चित सूचि बना पाना कोई सरल कार्य नहीं परन्तु महत्व के दृष्टिकोण से कर राजस्व, उधार से प्राप्तियाँ, चुकाये दिए गये उधारों की मूल राशियों और उनपर ब्याज की वसूलियाँ, करेंसी के सृजन से आए, सरकारी उद्यमों से आए, फीसें, जुर्माने तथा उपहार आदि की गिनती मुख्य स्रोतों में की जाती है। प्रो० डाल्टन के मतानुसार हमें "सार्वजनिक प्राप्तियों" और "सार्वजनिक राजस्व" के अर्थों में भेद करना चाहिए - [illegible] सार्वजनिक प्राप्तियों के शब्दों को एक विस्तृत अर्थ प्रदान करते हुए इसमें राज्य को सभी स्रोतों से होने वाली प्राप्तियों को शामिल किया जाना चाहिए। जबकि इसके विपरित 'सार्वजनिक राजस्व' की अवधारणा को काफी सीमित अर्थों में लेते हुए उसमें सार्वजनिक ऋणों, सार्वजनिक सम्पत्ति के विक्रय तथा नोट छपाई से होने वाली प्राप्तियों को ए शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

कर राजस्व (Tax revenue)

सरकार की वह हर प्राप्ति जो निम्नलिखित दो विशेषताओं से युक्त हो कर कहलाती है —

(1) कर सरकार द्वारा लागू की गई, एक बाध्य (compulsory) उगाही है। सरकार को इसे बलपूर्वक उगाही करने का कानूनी अधिकार है तथा करारोपित आर्थिक इकाइयों का यह कानूनी दायित्व रहता है कि वे सरकार द्वारा आरोपित उगाहियों का सरकार को भुगतान करें,

(2) ~~कर~~ कर की दूसरी विशेषता यह है कि करदाता को इसके बदले में किसी सरकारी सेवा/सुविधा से लाभान्वित होने का अधिकार नहीं मिलता। (there is no quid pro quo of a tax liability or of a tax payment) इनसे लाभान्वित होने के अधिकार का कर-

Scanned by CamScanner

की अदायगी से अथवा कर की मात्रा से कोई सीधा और मात्रात्मक संबंध नहीं होता। समाज के सदस्यों को राज्य सेवाओं से लाभान्वित होने का अधिकार राज्य द्वारा अपनाई गई अन्य कसौटियों आदि के अधिकार पर मिलता है अतः यह संभव है कि अधिक कर अदा करने वाले व्यक्ति की कम चोरी कर देने वाले व्यक्ति को अथवा कर मुक्त व्यक्ति को अधिक मात्रा में सरकारी सेवाएं प्राप्त हों।

कर का आधार (tax base)

एक कर का आधार किसी मद का वह कानूनी व्याख्या है, जिससे उस मद पर किसी कर दाता की करदेयता निर्धारित और अनुमानित की जाती है। उदाहरणार्थ उत्पादन शुल्क का आधार मूल्य की उत्पत्ति है। यह उत्पत्ति किसी वस्तु के निर्माण, पैकिंग, स्थानांतरण अथवा किसी अन्य क्रिया के फलस्वरूप हो सकती है। उत्पादन में सेवाओं के मुहैया कराने को भी शामिल किया जाता है। इसी प्रकार आयकर का आधार एक करदाता की इकाई की कानूनी तौर पर परिभाषित तथा अनुमानित आय है। उपहार/दान कर का आधार उपहार/दान शब्द की कानूनी परिभाषा है। स्मरणीय है कि किसी भी कर के आधार की एक कानूनी तौर पर परिभाषित पहचान तथा सीमा होती है। जिससे यह तय किया जाता है कि विचाराधीन कर का आरोपण किन मदों पर, किन स्थितियों में तथा किन दरों पर किया जायेगा। ध्यान देने योग्य बात यह है कि एक ही वस्तु के कई कराधार हो सकते हैं। जैसे कि उसका उत्पादन, बिक्री, उपभोग आदि। इसी प्रकार एक करदाता की कर देयता कई कराधारों पर निर्धारित करों का योग हो सकती है। कानून द्वारा किसी कराधार की परिभाषा को संकुचित अथवा विस्तारित किया जा सकता है।

परन्तु भारत में किसी एक परिभाषित कराधार पर केवल एक स्तर की सरकार ही कर लगा सकती है। और यह भी हमारे संविधान में पूर्वनिश्चित रहता है कि वह अधिकारी सरकार कौन सी होगी।

Scanned by CamScanner